फतेहगढ़ पुलिस

पुलिस ने गांजा, तमंचा व नगदी सहित तस्कर को किया गिरफ्तार, भेजा जेल

यूथ इण्डिया संवाददाता,

कंपिल, फर्रुखाबाद। मुखबिर की सूचना पर थाना पुलिस ने एक व्यक्ति को गांजा की तस्करी करते समय भारी मात्रा में गांजा, तमंचा, कारतूस व नगदी सहित गिरफ्तार किया है।

थाना क्षेत्र के गाँव सिकन्दरपुर खास निवासी विजय कुमार उर्फ मनोज वर्मा पुत्र बाबू सिंह बीते लम्बे समय से गांजे की तस्करी कर रहा था। यह खबर पूरे क्षेत्र में फैली हुई थी। इसी बीच मुखबिर ने पुलिस को सूचना दी कि विजय कुमार बाहर से गांजा लाकर यहाँ बेचने का काम करता है जिस पर पुलिस ने उसे गिरफ्तार करने का ताना-बाना बुनना शुरू कर दिया। पुलिस ने उसे उसके गाँव से ही गिरफ्तार किया और उसकी निशानदेही पर 37 किलो गांजा बरामद किया है। जामा तलाशी में उसके पास से एक तमंचा व कारतूस भी बरामद हुए हैं। इसके अलावा गांजा बेचकर एकत्रित की गई हजारों रुपये की नगदी भी पुलिस ने उसके पास से बरामद की है। पुलिस ने उसके विरूद्ध मुकदमा दर्ज कर न्यायालय में पेश किया तो न्यायालय ने उसे जेल भेज दिया है। थानाध्यक्ष दिग्विजय सिंह का कहना है कि उनके क्षेत्र में इस तरह के कार्य किसी भी कीमत पर नहीं होंगे।

मीडिया सेल

फतेहगढ़ पुलिस

18 लाख की अफीम संग गिरफ्तार

फर्रुखाबाद। 990 ग्राम अफ़ीम के साथ पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार कर लिया। इसकी कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 18 लाख रुपये है। पुलिस अन्य लोगों को इसमें तलाश रही है। आवास विकास चौकी इंचार्ज जगदीश भाटी ने सिपाही अभिषेक कुमार और सतेंद्र कुमार के साथ घेराबंदी करके रतन गोपाल राठौर उर्फ विष्णु निवासी नेकपुर चौरासी को गिरफ्तार कर लिया। चौकी इंचार्ज ने बताया कि रतन के पास से 990 ग्राम अफीम बरामद की गयी है जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत 18 लाख है। इसके पास से 4820 रुपये नगद भी बरामद किये गये हैं। उन्होंने बताया कि रात में चेकिंग के दौरान एक इंटर कालेज के बाहर से मुख्य रोड पर रोका गया। जब तलाशी ली गयी तो अफीम बरामद हुई। यह अफीम कहां से लायी गयी है इसको लेकर जो युवक ने जानकारी दी उस पर अन्य की तलाश की जा रही है।

37 किलो गांजा के साथ दबोचा

कंपिल। थाना पुलिस ने छापेमारी कर एक आरोपित को गांजा समेत गिरफ्तार किया है। उसके पास से तमंचा व नकदी भी बरामद हुआ है। थाना क्षेत्र के सिकंदरपुर ख़ास गांव निवासी विजय कुमार उर्फ मनोज वर्मा को थाना पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर छापेमारी कर गांव से गिरफ्तार कर लिया। युवक के पास से 37 किलो गांजा ,एक देशी तमंचा, कारतूस व हजारो रुपए की नगदी बरामद हुई है। पुलिस युवक को हिरासत में लेकर थाने ले आयी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया।

मीडिया सेल

फतेहगढ़ पुलिस

20 लाख की अफीम समेत तस्कर गिरफ्तार

संवाद न्यूज एजेंसी

फर्रुखाबाद। शहर कोतवाली पुलिस ने सोमवार देर रात गश्त के दौरान 20 लाख रुपये की अफीम के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में उसने काफी दिनों से कारोबार में लिप्त होने की बात स्वीकार की है।

तस्कर रतन गोपाल राठौर उर्फ विष्णु।

शहर कोतवाली के दरोगा जगदीश भाटी सोमवार देर रात गश्त कर रहे थे। बढ़पुर स्थित क्रिश्चियन इंटर कॉलेज के पास एक युवक को उन्होंने हिरासत में लिया। तलाशी लेने पर उसके पास 990 ग्राम अफीम बरामद हुई है। उसने अपना नाम रतन गोपाल राठौर उर्फ विष्णु, निवासी नेकपुर चौरासी, थाना फतेहगढ़ बताया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर अदालत उसे जेल भेज दिया है।

दुकान में गांजा बेचते दुकानदार गिरफ्तार

कंपिल। परचून की दुकान में गांजा बेचते एक दुकानदार को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। वह लंबे समय से दुकान पर गांजा बेच रहा था। गांव सिकंदरपुर खास निवासी मनोज के घर में ही परचून की दुकान है। सूचना पर पुलिस ने मंगलवार सुबह मनोज की दुकान पर छापा मारा। वहां से 15 पैकेटों में 37 किलो गांजा, 11 हजार 345 रुपये, तमंचा व तीन कारतूस बरामद हुए है। पुलिस मनोज व बरामद गांजे को थाने लेकर आई। सीओ सोहराब आलम ने बताया कि गांजा सप्लाई करने वाले की तलाश की जा रही है। (संवाद)

मीडिया सेल

फतेहगढ़ पुलिस

महिलाओं और छात्राओं को सुरक्षा के लिए किया जा रहा जागरूक।

सुरक्षा के प्रति किया गया जागरूक

फर्रुखाबाद। महिलाओं और छात्राओं को सुरक्षा, स्वावलंबन और सम्मान के प्रति जागरूक किया गया। शहर से ग्रामीण क्षेत्र तक प्रमुख स्थानों पर महिला पुलिस बल की टीम ने सुरक्षा का भरोसा दिलाया। छात्राओं से कहा गया कि वह आराम से स्कूल जायें। रास्ते में कोई परेशान कर रहा हो तो बेहिचक खबर दें। किस नंबर पर कैसे शिकायत करनी है इसको लेकर भी जागरूक किया गया। कहा गया कि शिकायत को नजर अंदाज न करें।

मीडिया सेल

फतेहगढ़ पुलिस

महिलाओं और छात्राओं को सुरक्षा के लिए किया जा रहा जागरूक।

सुरक्षा के प्रति किया गया जागरूक

फर्रुखाबाद। महिलाओं और छात्राओं को सुरक्षा, स्वावलंबन और सम्मान के प्रति जागरूक किया गया। शहर से ग्रामीण क्षेत्र तक प्रमुख स्थानों पर महिला पुलिस बल की टीम ने सुरक्षा का भरोसा दिलाया। छात्राओं से कहा गया कि वह आराम से स्कूल जायें। रास्ते में कोई परेशान कर रहा हो तो बेहिचक खबर दें। किस नंबर पर कैसे शिकायत करनी है इसको लेकर भी जागरूक किया गया। कहा गया कि शिकायत को नजर अंदाज न करें।

मीडिया सेल

फतेहगढ़ पुलिस

बैंकों में सुरक्षा को लेकर जांच

फर्रुखाबाद। जिले भर में मंगलवार को बैंकों की सुरक्षा को लेकर पडताल की गयी। बैंक के बाहर जो लोग संदिग्ध लगे उन्हें रोककर बैंक पर आने का कारण पूछा गया। अचानक चले चेकिंग अभियान से खासा हड़कंप देखने को मिला। पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में जिले भर में थानेदार, चौकी इंचार्ज और हल्का इंचार्जों ने अपने अपने क्षेत्र की बैंक शाखाओं में जाकर चेकिंग की। चेकिंग के दौरान सीसीटीवी कैमरे, इमरजेंसी अलार्म चेक किये गये। शाखा प्रबंधकों से कहा गया कि बैंक के अंदर कोई संदिग्ध लगे तो तुरंत पुलिस को खबर दें। इसमें किसी तरह की लापरवाही न करें। सुरक्षा को लेकर पुलिस हर समय साथ में है इसलिए जरा सी भी कहीं लापरवाही न करें।

मीडिया सेल

फतेहगढ़ पुलिस

हत्या के आरोपी को कोर्ट ने दी उम्रकैद की सजा

- आजीवन कारावास की सजा के साथ ही 55 हजार का जुर्माना भी
- 19 नवंबर 2016 को नवाबगंज थाना क्षेत्र में हुई थी हत्या की वारदात

फर्रुखाबाद, संवाददाता। अदालत ने ग्रामीण की गोली मारकर हत्या करने के मामले में आरोपी को उम्र कैद की सजा से दंडित किया है। इसके साथ ही 55 हजार का जुर्माना भी सुनाया है।

पांच साल पहले एक मामले की शिकायत करने गये ग्रामीण की गोली मारकर हत्या कर दी गयी थी। 19 नवंबर 2016 को नवाबगंज थाना क्षेत्र के चकरपट्टी गांव निवासी विजय ने रिपोर्ट दर्ज करायी थी। विजय और पूरनलाल अपनी सबमर्सिबल के पास पहुंचे तभी 19 नवंबर 2016 को शाम 6.30 बजे गांव के ही सुशील आए और पानी लगाने को लेकर लड़ने झगड़ने लगा। पूरनलाल को सुशील ने काफी मारा पीटा जिससे वह लहुलुहान होकर गिर गया। इस दौरान आरोपित ने विजय के ऊपर भी जान से मारने की नीयत से फायर किया। इस पर विजय पेड़ की आड़ लेकर बाल बाल बच गया। विजय ने फोन के माध्यम से अपने बेटे शिवशरन उर्फ टिंकू को सूचना दी। बेटा बाइक से मौके पर आ गया तब तक सुशील अपने घर चला गया। जब विजय और उसका बेटा शिवशरन उर्फ टिंकू, सुशील के घर शिकायत को जा रहे थे तभी सुशील के घर के सामने चबूतरे पर शिवशरन पहुंचा।

इसी दौरन सुशील ने शिवशरन पर गोली चला दी। यह गोली शिवशरन के सीने में लगी और शिवशरन मौके पर गिर पड़ा। एंबुलेंस से पूरन और शिवशरन को लोहिया अस्पताल लाया गया। जहां पर डॉक्टरों ने शिवशरन को मृत घोषित कर दिया।

वकील शिवनरेश सिंह, अनिल कुमार बाजपेयी, दीपिका कटियार ने अदालत के सामने अभियोजन की तरफ से पक्ष रखा। न्यायाधीश विष्णु चंद्र वैश्य ने इस मामले में आरोपित को आजीवन कारावास की सजा से दंडित करते हुए जुर्माना भी सुनाया है।

मीडिया सेल

फतेहगढ़ पुलिस

युवक की हत्या में दोषी को उम्रकैद

फर्रुखाबाद। छह वर्ष पहले युवक की गोली मारकर हत्या करने के मामले में अपर जिला जज प्रथम विष्णु चंद्र वैश्य ने दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। 55 हजार रुपये जुर्माना जमा करने के आदेश दिए हैं।

नवाबगंज थाना क्षेत्र के गांव चकरपट्टी निवासी विजय 19 नवंबर 2016 की शाम को गांव के पूरनलाल के साथ अपने नलकूप के पास बैठे थे। तभी गांव का सुशील वहां पर पहुंचा और गाली गलौज करने लगा। पूरन लाल के विरोध करने पर सुशील ने उसको मारपीट कर लहूलुहान कर दिया। विजय ने बचाने का प्रयास किया तो उस पर तमंचे से फायर कर दिया। पेड़ की आड़ होने से विजय बाल-बाल बच गया। विजय ने घटना की जानकारी पुत्र शिवकरन उर्फ टिंकू को दी। शिवकरन बाइक से नलकूप पर पहुंचा, तब तक सुशील वहां से जा चुका था। शिवकरन शिकायत करने के लिए सुशील के घर पहुंचा और चबूतरे पर खड़े होकर आवाज लगाई। तभी सुशील ने तमंचे से शिवकरन के सीने में गोली मार दी। घायल शिवकरन को एंबुलेंस से लोहिया अस्पताल ले गए। वहां डॉक्टर ने शिवकरन को मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने विजय की तहरीर पर सुशील के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया। विवेचक ने आरोपी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। मंगलवार को अपर जिला जज ने दोषी को सजा व जुर्माने से दंडित किया। जुर्माना न देने पर आरोपी को एक वर्ष का कारावास अतिरिक्त भोगना होगा। (संवाद)

मीडिया सेल